

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2020 — वैशाख 28, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2009/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2009/18 नवा रायपुर दिनांक 10-02-2020 के कॉलम 4 में नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर हेतु अवधारित वार्डों की संख्या संबंधी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार कॉलम नं. 4 में यथा विनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करता है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.	जिला का नाम	नगर पालिका परिषद का नाम	वार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कोरिया	बैकुण्ठपुर	20

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020

क्रमांक एफ 1-3/2009/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2009/18 दिनांक 18-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 18th May 2020

NOTIFICATION

No. F 1-3/2009/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby suppress notification No. F 1-3/2009/18 New Raipur Dated 10-02-2020 in respect of Municipal Council Baikunthpur in column (4) of the said schedule and determine the number of wards as specified in the corresponding column (4) of the schedule, here as under :-

SCHEDULE

S.No.	District	Name of Municipal Council	No. of Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koriya	Baikunthpur	20

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2009/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2009/18 नवा रायपुर दिनांक 10-02-2020 के कॉलम 4 में नगर पालिका परिषद शिवपुर चरचा हेतु अवधारित वार्डों की संख्या संबंधी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार कॉलम नं. 4 में यथा विनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करता है, अर्थात् :-

सारणी

क्र.	जिला का नाम	नगर पालिका परिषद का नाम	वार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कोरिया	शिवपुर चरचा	15

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 18 मई 2020

क्रमांक एफ 1-3/2009/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2009/18 दिनांक 18-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 18th May 2020

NOTIFICATION

No. F 1-3/2009/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby suppress notification No. F 1-3/2009/18 New Raipur Dated 10-02-2020 in respect of Municipal Council Shivpur Charcha in column (4) of the said schedule and determine the number of wards as specified in the corresponding column (4) of the schedule, here as under :-

SCHEDULE

S.No.	District	Name of Municipal Council	No. of Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koriya	Shivpur Charcha	15

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.